कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / ——/2025 दि0 लखनऊः दिसम्बर 19, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1364 / 2025 दिनांक 31–10–2025 के द्वारा माह दिसम्बर, 2025 में **जनपद गोरखपुर** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 29–12–2025 से 31–12–2025** तक किया गया था । उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 कानपुर को नामित किया गया था।

सदस्य, पीठ–2, कानपुर के द्वारा पत्र संख्या 220 दिनांक 16–12–2025 से सूचित किया गया है कि वह दिनांक 29–12–2025 से 31–12–2025 तक अवकाश पर रहेंगे ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1364 / 2025 दिनांक 31–10–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, **जनपद गोरखपुर में दिनांक 29–12–2025 से 31–12–2025 तक गठित युगलपीठ** तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-19.12.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 1557 / 2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ, बरेली ।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–द्वितीय, कानपुर ।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, ~~अयोध्या~~ पीठ गोरखपुर ।
4– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
5– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।